• बीआरकेजीबी मास्टर बुनकरों हेतु ऋण योजना

1	**योजना का उद्देश्य**	योजना का उद्देश्य मास्टर बुनकरों को पर्याप्त साख उपलब्ध करवाना है,
2	**ऋण का प्रकार**	ऋण योजना में मास्टर बुनकारों की निम्न आवश्यकताओं का समावेश करते हुए उसकी ऋण सीमा का निर्धारण किया जाये :– उत्पादन आवश्यकताएं। निवेश लागत। विपणन आवश्यकता। उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति।
3	**ऋण हेतु पात्रता**	हथकरघा व्यवसाय से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए व्यक्तिगत बुनकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
4	**ऋण सीमा**	ऋण सीमा का निर्धारण योजना के अनुसार उनके द्वारा– i. अनुबंध पर रखे गये/रखे जाने वाले बुनकरों। ii. लगाई गयी/प्रस्तावित लूम। iii. कपड़े का प्रकार अथवा किश्त (तैयार किया जा रहा है/प्रस्तावित है) iv. उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं, विपणन, मूलभूत आवश्यकताओं आदि। v. पूर्व में स्थापित इकाई हेतु कार्यशील पूंजी का आंकलन a. राज्य स्तरीय इकाई लागत समिति द्वारा प्रति लूम हेतु निर्धारित दर (यदि निर्धारित की गई हो तो) के अनुसार। b. विगत 3 वर्षों के औसत उत्पादन का अधिकतम 50 प्रतिशत तक या गत वर्ष के उत्पादन का 20 प्रतिशत अधिक, दोनों में जो भी अधिक हो। vii. आवधिक ऋण – a. आवधिक ऋण का निर्धारण मास्टर बुनकर द्वारा अपनाई गयी तकनीक पर निर्भर करता है। (जिस लूम, जेकवार्ड आदि) b. लूम लगाने से पूर्व/पश्चात क्रय की गयी सामग्री/बनाई गयी वर्कशेड, विपणन हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे से आऊटलेट, डिलेवरी व्हीकल, भण्डारण व्यवस्था आदिं c. बुनकर की उपभोग आवश्यकताएं कार्यशील पूंजी के 15`स 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5	**ब्याज दर**	बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार स्वीकृत ऋण सीमा पर लागू ब्याज दर प्रभारित होगी।
6	**अंशदान**	समय–समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उचित मार्जिन रखा जायेगा।
7	**प्रतिभूति**	समय–समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार ऋण की सुरक्षा हेतु आवश्यक सम्पार्श्विक प्रतिभूति/प्राथमिक प्रतिभूतियां प्राप्त की जायेगी।
8	**पुनर्भुगतान**	इस योजना में वितरित ऋणों का पुनर्भुगतान 12 माह की प्रारम्भिक छूट के साथ अधिकतम 108 मासिक किश्तों में देय होगा।